तटस्थ उद्धरण 2009: सीजीएचसीः 9939

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रंमाक 181 वर्ष 2007

संजय यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

25 अगस्त, 2009 को आदेश हेतु सूचीबद्घ किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रंमाक 181 वर्ष 2007

याचिकाकर्ता संजय यादव पुत्र जोगी राम यादव, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम बदरसी, थाना - बागबेहरा, हाल वार्ड क्रमांक 11, मचकुरी लाइन महासमुंद, थाना एवं जिला : महासमुंद - (छ.ग.)
(जेल में)

-

बनाम

उत्तरदाता छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा: थाना कोतवाली महासमुंद, जिला : महासमुंद-(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

(**एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा**)

-

उपस्थित: श्री अशोक सोनी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता राज्य/उत्तरदाता हेतु।

-

आदेश

(25 अगस्त, 2009)

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 31/2006 में दिनांक 19.1.2007 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी मानते हुए उसे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि और दंडादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य, विशेष रूप से अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होने के प्रमाण में, अधीनस्थ न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उपर्युक्त रूप में दोषी ठहराया और दण्डित किया है और इस प्रकार अवैधता की है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) अपराध की तिथि यानी 29.3.2006 को लगभग 15 वर्ष की थी। वह कक्षा-

9 की छात्रा थी। वह परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन अपने घर वापस नहीं लौटी। भरतलाल साहू (अ.सा.-2) (अभियोक्त्री के पिता) ने खोजबीन की और अंत में प्रदर्श.पी/12 के तहत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 26.8.2008 को फिर से अभियोक्त्री के पिता भरतलाल साहू (अ.सा.-2) ने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श.पी/2) प्रस्तुत की कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का अपहरण करने के बाद बलात्कार किया है और उसे पंजाब ले गया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच के बाद, अंततः 16.7.2006 को प्रदर्श.पी/13 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अभियोक्त्री के पिता भरतलाल साहू (अ.सा.-2) कठवा (पंजाब) गए और अपनी बेटी और अभियुक्त को कठवा से लेकर थाने में पेश किया। प्रदर्श पी/3 के तहत पंचनामा तैयार किया गया। सहमति लेने के बाद अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। प्रदर्श पी/8 के तहत डॉ. अलका परदल (अ.सा.-7) ने उसकी जांच की और पाया कि वह छह महीने की गर्भवती है। वह संभोग की आदी थी। प्रदर्श पी/5 के तहत उसका आठवीं बोर्ड का प्रमाण पत्र जब्त कर लिया गया। अभियोक्त्री को प्रदर्श पी/6 के तहत उसके पिता की अभिरक्षा में दे दिया गया। अभियोक्त्री की जांच के समय लिए गए योनि स्मीयर की स्लाइड प्रदर्श पी/7 के तहत बरामद की गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्कूल प्रवेश पंजी (प्रदर्श पी/9) अभियोक्त्री की जन्मतिथि 15.5.1991 बताता है। प्रधान आरोपी को चिकित्सा परिक्षण के लिए भेजा गया, जिसमें डॉ. एन.के. मंडपे (अ.सा.-11) द्वारा उसकी जांच की गई और उसे यौनाचार के लिए सक्षम पाया गया। साक्ष्य के अंतर्गत, अभियोक्त्री के पिता ने प्राथमिक विद्यालय का अंकतालिका प्रस्तुत की (प्रदर्श पी/7) जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 15.5.91 दर्ज है।

4. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुंद की न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, महासमुंद की न्यायालय को उपार्जित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्त/याचिकाकर्ता के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों का परिक्षण कराया। अभियुक्त/याचिकाकर्ता का बयान संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जहाँ उसने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने तथा झूठे आरोप लगाने का दावा किया। उसने विशेष रूप से यह तर्क दिया कि पीड़िता ने स्वेच्छा से अपने पैतृक आवास को छोड़ा और उससे विवाह

किया। वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। वह गर्भवती थी। उसके माता-पिता उसका गर्भपात कराना चाहते थे, इसलिए वह अपने पैतृक घर को छोड़कर उसके साथ चली गई। पीड़िता के माता-पिता ने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया और उसके इनकार के बाद, उन्होंने याचिकाकर्ता को संबंधित अपराध में झूठा फंसा दिया।

6. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात याचिकाकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अशोक सोनी और राज्य/उत्तरदाता के उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा को सुना है और अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत अपराध के लिए शिकायतकर्ता की उम्र 16 वर्ष या 18 वर्ष से कम होने का प्रमाण होना अनिवार्य है, लेकिन अभियोजन इस मामले में शिकायतकर्ता की उम्र का प्रमाण पेश करने में पूरी तरह असफल रहा है और ऐसे उम्र के प्रमाण के बिना, याचिकाकर्ता की धारा 363, 366 और 376 के तहत दंड और दोषसिध्ही विधि के तहत सहनीय नहीं हैं। अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि शिकायतकर्ता एक

सहमत पक्षकार है और उसने स्वयं आरोपी से शादी की है और वे पति-पत्नी के रूप में निवास कर रहे हैं, इसलिए आरोपी का कार्य अपहरण या व्यपहरण की श्रेणी में नहीं आता।

9. विद्वान अधिवक्ता ने **जीव राखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] मामले का हवाला दिया, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी सहमति के बिना सहवास करने के साक्ष्य से कोई विश्वास नहीं होता है, तो अभियुक्त बरी होने का हकदार है। साथ ही, यह भी माना कि अभियोजन पक्ष को प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्कूल अभिलेख का साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य नहीं है और यह किसी अन्य साक्ष्य पर आधारित है जो उम्र साबित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य है और प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, स्कूल के प्रमाण पत्र का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की सभी छाया से परे अपना मामला साबित कर दिया है और स्कूल प्रमाण पत्र (प्रदर्श.पी/7) का प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे अभियोक्ता की

[1] 2004 (2) M.P.H.T.158

जन्मतिथि 15.5.91 पता चलती है। अभियोक्ता के पिता भरतलाल साहू (अ.सा.-2) ने विशेष रूप से यह बयान दिया है कि अपराध की तिथि पर उसकी बेटी की उम्र 14 से 15 वर्ष थी और वह कक्षा-9 में पढ़ रही थी। इस तथ्य को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह अभियोक्त्री की उम्र साबित करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णायक सबूत है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने स्वयं पैरा-7 में यह बयान दिया है कि उसकी जन्मतिथि 15.5.91 है और बचाव पक्ष ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में इसे चुनौती नहीं दी है, हालांकि जन्म प्रमाण पत्र जन्म का निश्चायक सबूत है, लेकिन ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में किसी व्यक्ति की उम्र का आकलन उसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें उसकी विशेषताएँ, स्कूल रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि, न्यायालय द्वारा उम्र का निर्धारण और माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों का बयान शामिल हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पक्षों की तर्कों को समझने के लिए मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की जांच की है। जहां तक अभियोक्त्री की उम्र का सवाल है, अधीनस्थ विद्वान न्यायालय ने अभियोक्त्री की उम्र 15 साल निर्धारित की है। अभियोक्त्री के पिता भरतलाल साहू (अ.सा.-2) ने अपने

साक्ष्य के पैरा-1 में बयान दिया है कि अभियोक्त्री की उम्र 14 से 15 साल थी। उन्होंने बयान दिया है कि वह कक्षा 9 की छात्रा थी। उन्होंने विशेष रूप से बयान दिया है कि उन्होंने अंकसूची (प्रदर्श.पी/10) की प्रति पेश की है और प्राथमिक विद्यालय की अंकसूची (प्रदर्श.पी/7) भी पेश की है। अभियोक्त्री की उम्र डॉ. अलका परदल (अ.सा.-7) ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श.पी/8 में 15 साल दर्ज की है। अभियोजन पक्ष ने स्कूल की प्राचार्य श्रीमती एस.चंद्रसेन (अ.सा.-8) का परिक्षण कराया है प्रवेश पंजी की प्रति प्रदर्श.पी/9 है। आठवीं बोर्ड परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रदर्श.पी/10 है और दस्तावेज़ में जन्मतिथि 15.5.91 दर्ज है। उसने अपने साक्ष्य के पैरा-4 में कहा है कि उसे शासकीय नवीन कन्या विद्यालय, महासमुंद के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश दिया गया था। इसकी प्रति प्रदर्श.पी/11 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जीव राखन (पूर्वोक्त) मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर, स्कूल प्रमाणपत्र का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं रह जाता। स्कूल पंजी हमेशा माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होता है, इसलिए वे द्वितीयिक साक्ष्य हैं। उन्हें केवल द्वितीयिक या उस प्रकृति के होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

13. **छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम**[2] मामले में शाला पंजी में प्रविष्टियों के साक्ष्यात्मक मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शाला पंजी में प्रविष्टियाँ निर्णायक नहीं हैं, इसका साक्ष्यात्मक मूल्य है। उक्त निर्णय का पैरा 13 निम्नानुसार लिखा है:-

> "13. अभियोक्त्री ने वर्ष 1977 में प्रवेश लिया था। उस समय वह लगभग 6-7 वर्ष की थी। उसे कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया था। गाँव के मानक के अनुसार भी, उसने स्कूल में प्रवेश थोड़ा देर से लिया।
>
> उसकी शादी वर्ष 1985 में हुई थी जब वह स्पष्ट रूप से अप्राप्तवय
>
> थी। वह कुछ समय के लिए अपने ससुराल में रही और
>
> "गौना"
>
> समारोह के बाद वापस आ गई। अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर, इसलिए, उपर्युक्त पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता थी। यह सच हो सकता है कि शाला पंजी में कोई प्रविष्टि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] (2006) 5 SCC 736

निर्णायक न हो, लेकिन उसका साक्ष्य मूल्य होता है। शाला पंजी का ऐसा साक्ष्य मूल्य मौखिक साक्ष्य द्वारा पुष्ट होता है क्योंकि इसे अभियोक्त्री की माँ के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था।"

14. वर्तमान मामले में, भरतलाल साहू (अ.सा.-2) ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि उसकी बेटी की उम्र 14 से 15 वर्ष थी और उन्होंने अंकसूची (प्रदर्श पी/10 और पी/7) भी पेश की है, जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 15.5.91 अंकित है। बचाव पक्ष ने इस गवाह से, जो अभियोक्त्री का पिता है, अभियोक्त्री की उम्र से संबंधित उसकी गवाही को झुटलाने के लिए कुछ नहीं कहा है। उनके बयान की पुष्टि शाला प्रमाण पत्र से होती है, जिसमें जन्मतिथि 15.5.91 है। यदि हम अभियोक्त्री की उम्र 25.5.2006 को शाला पंजी के आधार पर गणना करें, तो यह 15 वर्ष से कम अर्थात 14 वर्ष, 10 महीने और 14 दिन होगी।अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोक्त्री की उम्र 15 वर्ष से कम निर्धारित की है। अभियोक्त्री के पिता का साक्ष्य, जो अभियोक्त्री की आयु के बारे में सर्वोत्तम व्यक्ति है, स्वीकार्य है, विशेष रूप से उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल सुझाव न होने की स्थिति में। अधीनस्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय ने सही ही निष्कर्ष निकाला है कि घटना के दिन अभियोक्ता की आयु 15 वर्ष से कम थी।

15. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा अपहरण, व्यपहरण और बलात्कार के प्रश्न का संबंध है, अभियुक्त ने स्वयं संहिता की धारा 313 के तहत की गई अपनी परीक्षा में स्वीकार किया है कि उसने अभियोक्त्री से विवाह किया है और वे अभियोक्त्री की सहमति से उसके साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के दिनांक को जब वह स्कूल से आ रही थी और अपनी दादी के घर जा रही थी, अभियुक्त बस स्टैंड के पास मिला और उसे शादी का प्रलोभन दिया और उसे गोंदिया और अन्य स्थानों और अंततः पंजाब ले गया। पंजाब में रहने के दौरान उसने पंजाब में उसके साथ संभोग किया। वह अभियुक्त के साथ रह रही थी। उसके विस्तृत प्रतिपरीक्षा से पता चलता है कि वह स्वयं अपने माता-पिता के संरक्षण को छोड़कर अभियुक्त के साथ चली गई थी। उसके प्रतिपरीक्षा से यह भी पता चलता है कि वह संभोग के लिए सहमत पक्षकार थी। अभियोजन पक्ष ने पिता भरतलाल साहू (अ.सा.-2) का अपनी बेटी के लापता होने और उसकी बेटी के पंजाब में अभियुक्त के साथ रहने के संबंध में बयान विवादित नहीं है। अ.सा.-2 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्ष्य के पैरा-14 के अवलोकन से पता चलता है कि जब वह कठवा (पंजाब) पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी आरोपी के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। वह सिंदूर और मंगल सूत्र का उपयोग कर रही थी। उन्होंने सहमति के तथ्य का भी समर्थन किया है।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का अपहरण किया है या उसे भगा ले गया है, लेकिन इससे पता चलता है कि अभियोक्त्री ने स्वयं अपने माता-पिता के संरक्षण को छोड़ दिया है और अभियुक्त के साथ रह रही थी और अभियुक्त ने उसकी सहमति से संभोग किया था, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश निम्न के तहत टिकने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जहां तक अभियुक्त द्वारा बलात्कार का अपराध किए जाने का संबंध है, अपराध किए जाने के समय अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी और 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ उसकी सहमति से या उसके बिना कोई भी संभोग भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की परिभाषा के अंतर्गत आता है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत

दंडनीय है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि के तहत टिकने योग्य है।

18. उपर्युक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है, किन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहाँ तक दंड का प्रश्न है, प्रतिवादी ने 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ लंबे समय तक बलात्कार का अपराध किया है, इसलिए उसके प्रति नरम रुख संभव नहीं होगा। 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने का दंड न्यायोचित और उचित है।

20. परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता पर अधिरोपित दंडादेश एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अंतर्गत जुर्माना जमा किया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

तटस्थ उद्धरण 2009: सीजीएचसीः 9939

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Ananya Chatterjee